भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
लोक सभा

तारांकित प्रश्न सं.: 123
उत्तर देने की तारीखः 29.07.2025

तमिलनाडु में समाज कल्याण योजनाएं

***123. श्री ईश्वरस्वामी के. :**

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार को तमिलनाडु में विभिन्न समाज कल्याण योजनाओं के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) ग्रामीण और शहरी गरीबों के लाभार्थ उक्त प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री
(डॉ. वीरेन्द्र कुमार)

(क) और (ख): सदन के पटल पर एक विवरण रख दिया गया है।

तमिलनाडु में समाज कल्याण योजनाओं के संबंध में श्री ईश्वरस्वामी के. द्वारा पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. 123, जिसका उत्तर 29.07.2025 को दिए जाने के लिए नियत है, के भाग (क) और (ख) के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क) और (ख): सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय को वित्तीय वर्ष 2024-25 और 2025-26 के दौरान तमिलनाडु में निम्नलिखित समाज कल्याण योजनाओं के अंतर्गत प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इन प्रस्तावों के अनुमोदन की वस्तुस्थिति संलग्नक में दी गई है।

i) प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (पीएम-अजय)

ii) अनुसूचित जातियों और अन्य के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति

iii) अनुसूचित जातियों के लिए पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति

iv) अटल वयो अभ्युदय योजना (एवीवाईएवाई)

v) सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के कार्यान्वयन हेतु केंद्र प्रायोजित योजना

vi) ओबीसी, ईबीसी और विमुक्त, घुमंतू और अर्ध-घुमंतू जनजाति (डीएनटी) छात्रों के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति

vii) ओबीसी, ईबीसी और विमुक्त, घुमंतू और अर्ध-घुमंतू जनजाति (डीएनटी) छात्रों के लिए पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति

viii) ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी छात्रों के लिए कॉलेजों में टॉप क्लास शिक्षा

ix) ओबीसी छात्रों के लिए राष्ट्रीय फैलोशिप

x) नशीले पदार्थों की मांग में कमी लाने की राष्ट्रीय कार्य-योजना (एनएपीडीडीआर)

xi) सुगम्य भारत अभियान (एआईसी) और बाधा मुक्त परिवेश का निर्माण (सीबीएफई)

xii) सहायक साधनों/उपकरणों की खरीद करने/लगाने के लिए दिव्यांगजनों को सहायता (एडीआईपी)

संलग्नक

तमिलनाडु में समाज कल्याण योजनाओं के संबंध में श्री ईश्वरस्वामी के. द्वारा पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. 123, जिसका उत्तर 29.07.2025 को दिए जाने के लिए नियत है, के भाग (क) और (ख) के उत्तर में दिए गए विवरण में उल्लिखित संलग्नक

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में प्राप्त प्रस्तावों के अनुमोदन की वस्तुस्थिति

i) प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (पीएम-अजय)

- अनुदान घटक के अंतर्गत, वित्तीय वर्ष 2024-25 और 2025-26 के दौरान क्रमशः 96.74 करोड़ रु. और 16.59 करोड़ रु. की धनराशि जारी की गई है।
- आदर्श ग्राम घटक के अंतर्गत, वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान 223.25 करोड़ रु. जारी किए गए हैं।
- छात्रावास घटक के अंतर्गत, वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान 1.875 करोड़ रु. जारी किए गए हैं।

ii) अनुसूचित जातियों और अन्य के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति के अंतर्गत, परियोजना मूल्यांकन समिति (पीएसी) ने शैक्षणिक वर्ष 2024-25 और 2025-26 के लिए क्रमशः 62.25 करोड़ रु. और 91.38 करोड़ रु. की केंद्रीय हिस्सेदारी को अनुमोदित कर दिया है।

iii) अनुसूचित जातियों के लिए पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति के अंतर्गत, परियोजना मूल्यांकन समिति (पीएसी) ने शैक्षणिक वर्ष 2024-25 और 2025-26 के लिए क्रमशः 826.52 करोड़ रु. और 852.00 करोड़ रु. की केंद्रीय हिस्सेदारी को अनुमोदित कर दिया है।

iv) एवीवाईएवाई के एकीकृत वरिष्ठ नागरिक कार्यक्रम (आईपीएसआरसी) के अंतर्गत, वरिष्ठ नागरिक गृहों के संचालन और रखरखाव के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 में 32 नए गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) और वित्तीय वर्ष 2025-26 में 4 नए एनजीओ का चयन किया गया है।

v) सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के कार्यान्वयन के लिए केंद्र प्रायोजित योजना के अंतर्गत, वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 32.18 करोड़ रु. और वित्तीय वर्ष 2025-26 के वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 83.51 करोड़ रु. स्वीकृत किए गए हैं।

vi) ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी छात्रों के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति के अंतर्गत, वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 23.63 करोड़ रु. जारी किए गए हैं। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए, राज्य सरकार के पास 2.64 करोड़ रु. का एसएनए शेष है। इसकी सूचना राज्य सरकार को दे दी गई है।

vii) ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी छात्रों के लिए पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति के तहत, वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 119.37 करोड़ रु. जारी किए गए हैं और वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 29.00 करोड़ रु. संस्वीकृत किए गए हैं।

viii) ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी छात्रों के लिए कॉलेजों में टॉप क्लास शिक्षा के तहत, वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 5.83 करोड़ रु. जारी किए गए हैं।

ix) ओबीसी छात्रों के लिए राष्ट्रीय फैलोशिप के तहत, वित्तीय वर्ष 2024-25 और 2025-26 के लिए क्रमशः 5.83 करोड़ रु. और 1.75 करोड़ रु. जारी किए गए हैं।

x) ड्रग्स की मांग में कमी की राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपीडीडीआर) के तहत, वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए राज्य कार्य योजना के लिए 3.92 करोड़ रु. जारी किए गए हैं।

xi) सुगम्य भारत अभियान (एआईसी) और बाधा मुक्त परिवेश निर्माण (सीबीएफई) के तहत 2024-2025 के दौरान 27.62 करोड़ रु. स्वीकृत किए थे।

xii) एडीआईपी योजना के अंतर्गत वर्ष 2024-25 और 2025-26 के दौरान क्रमशः 4.16 करोड़ रु. और 1.96 करोड़ रु. जारी किए गए हैं।

*****